विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	परिवहन
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4956
उत्तर की तिथि	:	08–03–2022
विषय	:	रोपवे
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई)
संबंधित मन्त्री	:	उद्योग मन्त्री

	प्रश्न		उत्तर
	क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः–		(क) एवं (ख):
(क)	यह सत्य है कि केन्द्र द्वारा प्रदेश हेतु 13 रोपवे स्वीकृत किए गए हैं; यदि हां, तो ब्यौरा स्वीकृत धनराशि सहित दें तथा इनका निर्माण कार्य कब तक कर दिया जायेगा; और		सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	टूटीकंडी से जाखू तक रोपवे का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया था; इस रोपवे के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा दें?		

श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई) द्वारा पूछे गए तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 4956 से सम्बन्धित सूचनाः

(क) राज्य में 13 रोपवे बनाने की प्रस्तावना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार को दिनांक 15–09–2021 को प्रेषित की गई है, जिसके लिए प्रदेश के उपक्रम रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपरेशन (RTDC) हिमाचल प्रदेश सीमित व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के उपक्रम National Highway Logistic Management Limited के बीच में समझौता ज्ञापन (MoU) होना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है।

(ख) टूटीकंडी से जाखू तक रोपवे का शिलान्यास दिनांक 23.06.2015 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री स्व. श्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया गया था। इस रोपवे का कार्यान्वयन नगर निगम शिमला के माध्यम से मैसर्स उषा ब्रेको शिमला रोपवे प्राइवेट लिमिटेड को पी. पी.पी. मोड पर आवंटित किया गया है। नगर निगम शिमला ने ठेकेदार/Concessionaire के साथ दिनांक 17.06.2015 को एग्रीमेंट साईन किया था, जिसके अनुसार ठेकेदार/ Concessionaire को एक साल के भीतर सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी थी परन्तु इस सम्बन्ध में भूमि अनुमति (लैंड क्लीयरेंस) हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है, जिसके लिए नगर

निगम शिमला द्वारा ठेकेदार/Concessionaire को 31.10. 2021 तक समय सीमा दी गई थी, परन्तु ठेकेदार/ Concessionaire द्वारा उक्त कार्य को समय पर पूर्ण न करने के कारण दिनांक 07.02.2022 को परियोजना सम्बन्धी Termination Notice जारी किया गया, परन्तु ठेकेदार ने इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में याचिका दायर की है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2022 को स्थगन आदेश पारित किए है।

****